



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर, नरसिंहपुर
म.प्र.ब्लॉक-15, सिविक सेंटर, मद्राताल, जबलपुर (म.प्र.)



Email-Id Jabalpur@mptownplan.gov.in

Phone No. 0761-2401981

क्रमांक...../नयानि/एल/107/29.12.2021

जबलपुर, दिनांक /02/2022

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
पाटन जिला जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- ग्राम-उजरोड, प0ह0न0-16/19, न0ब0-31, रा0नि0म0-पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर खसरा क्रमांक 233 रकबा 1.2600 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 234/1 रकबा 0.600 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 234/2 रकबा 1.720 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 241 रकबा 0.410 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 242 रकबा 0.820 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 243 रकबा 1.130 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 244/1 रकबा 0.540 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 244/2 रकबा 0.650 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 245/2 रकबा 0.030 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 246/3 रकबा 0.160 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 247/5 रकबा 0.490 हेक्टेयर कुल रकबा 7.810 हेक्टेयर यानि 78100 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र (जनकपुरी प्रीमियम टाउनशिप) को मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के नियम 10(2) के तहत अभिमत बावत्।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक 1079/रीडर-2/अ0वि0अ0/2021 पाटन, दिनांक 17.11.2021 आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी दिनांक 03.02.2022।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज एवं आवेदक मेसर्स पी0एम0 एसोसियेटेड्स द्वारा पार्टनर श्री मुकेश कुमार साहू पिता श्री भगवान दास साहू एवं श्री पंकज पान्डेय पिता श्री रामसखा पान्डेय निवासी शॉप नंबर 56 हाट बाजार विजय नगर महाराजा अग्रसेन वाई तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्वामित्व संबंधी सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर ग्राम-उजरोड, प0ह0न0-16/19, न0ब0-31, रा0नि0म0-पाटन, तहसील पाटन, जिला जबलपुर खसरा क्रमांक 233 रकबा 1.2600 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 234/1 रकबा 0.600 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 234/2 रकबा 1.720 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 241 रकबा 0.410 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 242 रकबा 0.820 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 243 रकबा 1.130 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 244/1 रकबा 0.540 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 244/2 रकबा 0.650 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 245/2 रकबा 0.030 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 246/3 रकबा 0.160 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 247/5 रकबा 0.490 हेक्टेयर कुल रकबा 7.810 हेक्टेयर यानि 78100 वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र (जनकपुरी प्रीमियम टाउनशिप) को मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के नियम 10(2) के तहत अभिमत चाहा गया है।

विषयांकित भूमि का स्थल निरीक्षण आवेदक के प्रतिनिधि श्री विनोद शर्मा एवं कार्यालय के श्री आर.बी.पटेल(उपयंत्री) उनके द्वारा बताए गए स्थान का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया गया स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित भूमि जबलपुर पाटन मार्ग से लगकर उत्तर दिशा में स्थित है। भूमि के उत्तर दिशा में कृषि भूमि, दक्षिण दिशा में जबलपुर पाटन मार्ग, पूर्व दिशा में कृषि भूमि एवं पश्चिम दिशा में कृषि भूमि एवं नाला है, स्थल के उपर से 11 केव्ही0 की विद्युत लाईन गुजर रही है। परीक्षण अनुसार विषयांकित भूमि जबलपुर निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित है। उक्त ग्राम में म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 13(1) के प्रावधान लागू नहीं है। तात्पर्य विषयांकित भूमि किसी भी निवेश क्षेत्र से बाहर स्थित है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 27/अ-89/13/2021-2022 दिनांक 08.10.2021 (रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 25/2021), तथा तहसीलदार पाटन जबलपुर म0प्र0 का मामला क्रमांक 36/अ-12/2021-22 दिनांक 04.10.2021 द्वारा सीमांकन कर प्रतिवेदन सहित

M

आवेदक ने प्रस्तुत किया है। कार्यालय कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) म0प्र0पू0क्ष0वि0वि0कं0लि0 संभाग पाटन, का प्रत्र क्रमांक 1903 दिनांक 26.11.2021 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में संलग्न शपथ पत्र दिनांक 13.01.2022 यथा-वर्णित भूमि से संबंधित स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर आवेदक आवेदक मेसर्स पी0एम0 एसोसियेटेड्स द्वारा पार्टनर श्री मुकेश कुमार साहू पिता श्री भगवान दास साहू एवं श्री पंकज पान्डेय पिता श्री रामसखा पान्डेय द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं स्वामित्व संबंधी सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के नियम 10(2) के प्रावधान के अंतर्गत नियोजित आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र (जनकपुरी प्रीमियम टाउनशिप) पर म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विकास कार्यों को क्रियान्वित किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्बंधनों एवं शर्तों के अधीन रहते हुए अभिमत प्रदान कर कालोनी के विकास नियम 2014 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-

1-मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

2-मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993

3-नजूल अधिकारी पाटन, जिला जबलपुर।

4-संबंधित शासकीय विभाग (शासकीय विभाग से लगी भूमि की विकास की स्थिति में)

5-क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं.-5 विजय नगर जिला-जबलपुर।

अन्य किसी अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कोई अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो, तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। यदि किसी अधिनियम/नियमों के अंतर्गत अन्य कोई विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो, तो उसे प्राप्त करने का दायित्व आवेदक का होगा। संबंधित किसी विभाग को आपत्ति होने पर इस कार्यालय को वैधानिक साक्ष्यों सहित 15 दिवस में अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर यह माना जावेगा कि किसी विभाग को उक्त अभिमत से कोई आपत्ति नहीं है। इस अभिमत का आशय यह नहीं माना जावेगा कि अन्य विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनापत्ति या स्वीकृति पर बंधनकारी होगी।

2. विषयांकित भूमि के सम्मुख वर्तमान जबलपुर पाटन 24 मीटर चौड़ा मार्ग स्थित है। जिसे प्रस्तावित 60 मीटर रखते हुये वर्तमान मार्ग के मध्य से 30 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु आरक्षित रखना होगा या वर्तमान स्थित या राजस्व अभिलेखों के अनुसार जो अधिक उपलब्धता होगी वह भूमि मार्गाधिकार हेतु छोड़नी अनिवार्य होगा। उक्त मार्गाधिकार अंतर्गत भूमि पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण मान्य नहीं होगा।
3. भू-व्यपवर्तन के पश्चात संलग्न आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र अनुसार विकास कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनीयों का विकास) नियम, 2014 में वर्णित प्रावधानों के पालन कराने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी की होगी तथा प्राप्त की गई अनुमतियों की प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. भू-व्यपवर्तन किये जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 संबंधी प्रावधान सुनिश्चित किये जाने के पश्चात संलग्न उपांतरित अभिमत प्रस्ताव मानचित्र अनुसार विकास कार्य प्रारंभ किया जाये प्राप्त की गई अनुमतियों की प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. आवेदक को समस्त विभागों से अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 22.10.2016 में प्रकाशित अनुसार रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (विनियम और विकास) नियम 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थल पर विकास/निर्माण करने के पूर्व परियोजना का विनियामन प्राधिकरण से पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
6. नियमानुसार बाह्य विकास लागत राशि/पर्यवेक्षण राशि संबंधित संस्था/विभाग में जमा कराना होगी तथा कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानको/शर्तों के आधार पर पूर्ण कर विकास पूर्णता का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से

निम्नलिखित निर्देशों एवं शर्तों
 र म0प्र0 भूमि विकास नियम
 के प्रावधान के अंतर्गत नियोजित
 ग्राम स्वराज अधिनियम 1993,
 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं
 द्वारा पटवार श्री मुकेश कुमार
 या वर्णित भूमि से संबंधित
 या।

होमि0प्र0लि0 संज्ञा पाटन



- प्राप्त कर विधिवत इस कार्यालय को प्राप्त की गई अनुमतियों की प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के नियम-11 में निहित प्रावधानों अनुसार विकसित भूखण्डों का कुल विक्रय योग्य क्षेत्र का 6 प्रतिशत के बराबर विकसित भूखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिये (प्रत्येक के लिये 3 प्रतिशत) निर्धारित आकार के भूखण्ड विकसित कर सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तावित आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिये आरक्षित भू-खण्डों का आकलन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा उनका आदेश अंतिम माना जावेगा। एवं नियम 13 के अनुसार अतिरिक्त अश्वय शुल्क भी जमा करना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों तथा निम्न आय वर्ग के लिये भूखण्ड का न्यूनतम अग्रभाग (फ्रन्टेज) 3.6 मी0 होगा।
 8. आपके एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी जिम्मेदारी आवेदक एवं संबंधित ग्राम पटवारी की होगी। विसंगति पाये जाने पर इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 9. आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र अनुसार निर्दिष्ट भूखण्डों का विक्रय के दौरान विक्रय पत्र में प्रदत्त विकास अनापत्ति का क्रमांक व दिनांक तथा परियोजना का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।
 10. यह अभिमत आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र हेतु दी गई है, मानचित्र अनुसार दर्शित भू-खण्डों में निर्दिष्ट निर्मित क्षेत्रों को स्वयं के प्रेरणा से उपविभाजन व संविलियन किया जाना मान्य नहीं होगा। किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में इस कार्यालय से अभिमत प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अभिमत प्राप्त किए बगैर निर्दिष्ट निर्मित क्षेत्रों के उपविभाजन व संविलियन किए जाने पर दिया गया अभिमत निरस्त माना जावेगा अथवा कर दिया जायेगा। अभिमत निरस्त हो जाने पर भूमि को पूर्ववत अनुसार आवेदक को लानी होगी।
 11. प्रस्तुत अभिन्यास मानचित्र के अनुसार भूखण्ड क्रमांक 3, 8, 22 के उपर से 11 के0व्ही0 विद्युत लाईन गुजर रही है जिसे परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। अतः भूखण्ड क्रमांक 3, 8, 22 के उपर से 11 के0व्ही0 विद्युत लाईन परिवर्तन होन की स्थिति में ही इन भूखण्डों की स्वीकृती मान्य होगी। इन भूखण्डों का विक्रय विद्युत लाईन परिवर्तन होने पर ही किया जावे।
 12. प्रस्तावित भूमि से लगकर पश्चिम दिशा के परिसीमन से लगकर नाला गुजर रहा है। उक्त नाले से 9 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु आरक्षित रखना होगा।
 13. एच0टी0 लाईन के नीचे आने वाले भूमि भूखण्डों में नियमानुसार भवन अनुज्ञा न दी जावे। संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक 1754 दिनांक 03.04.2012 के अनुसार म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता.2004 (म0प्र0 इलेक्ट्रीसिटी सप्लाय कोड.2004) अनुसार आवासीय कालोनीय बहुउपभोक्ता परिसरों के लिए अनुमानित विद्युत प्रभार की गणना कर आवश्यक क्षेत्र आवेदकों को बिना शर्त के संबंधित विभाग को सौंपेंगे तथा विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय प्रणाली जहां तक संभव होए पर्याप्त स्थान पर उचित क्षमता का सब स्टेशन अनिवार्य रूप से स्थापित कर सूचना इस कार्यालय को दी जावेगी।
 14. आवासीय परिसर से निकलने वाले धूसर जल को रिसाइकिल कर हरित क्षेत्रों के रख रखाव हेतु उपयोग में लाने की व्यवस्था की जाना होगा। दूषित जल का निस्तार सार्वजनिक नाले इत्यादि में प्रतिबंधित रहेगा। जिसके लिये संबंधित विभाग के निर्देशन पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप एसटीपी का निर्माण आवेदक को स्वयं के व्यय से करना होगा।
 15. जल प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमतिया प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 16. प्रश्नाधीन स्थल पर आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र अनुसार विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं. 5 विजय नगर जिला-जबलपुर से आवश्यक होने पर पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
 17. वर्षा/छत के पानी की हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था कर इसका विकास, भू-खण्ड स्वामियों द्वारा करना आवश्यक होगा।

(Handwritten signature)

18. विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सार्वजनिक सुविधाएँ जैसे-जल प्रदाय, मल प्रवाह, वर्षा के पानी की निकासी, विद्युत व्यवस्था पुलिस का निर्माण आदि सुविधा अभिन्यास में अंकित कर उसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
19. आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र अनुसार दर्शित के अनुरूप छोड़े गये खुले स्थानों के विकास में पार्क, बगीचे एवं वृक्षों का समूह, छोटे बच्चों के खेलने के स्थान, उचित प्रकाश पेयजल व्यवस्था, जल-मल निकासी की व्यवस्था सड़क एवं भवन निर्माण के साथ ही पूर्ण की जाये इसके बिना विकास पूर्ण नहीं माना जाये। यह सुनिश्चित सक्षम प्राधिकारी द्वारा करना होगा।
20. मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के अनुसार भूखण्डों के लिए वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा मार्ग एवं पार्क का विकास कर उसे संबंधित संस्था/सरपंच ग्राम पंचायत उजरोड, तहसील पाटन, जिला जबलपुर में निःशुल्क हस्तांतरित करना होगा।
21. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना 14.09.2006 तक यथा संशोधित अधिसूचना 01.09.2009 की अनुसूची की कंडिका 08(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरीय और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना अनिवार्य है। म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के जापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है। तो ईकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार अथवा स्टेट ऑफ यूनियन टेरेटरी लेवल इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अथॉरिटी (एसईआईए) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से जुड़े निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इनवायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे तथा निर्माण के पूर्व ई.आई.ए.कलीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा। म0प्र0 शासन के आदेशानुसार कालोनी में पर्याप्त वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
22. आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र में विकास क्रियान्वित किये जाने हेतु मानचित्र अनुसार नियमों के अंतर्गत विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् विषयांकित भूमि पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि का सीमांकन जो कि विधिवत रूप से तहसीलदार पाटन जबलपुर म0प्र0 का मामला क्रमांक 36/अ-12/2021-22 दिनांक 04.10.2021 द्वारा विषयांकित भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन सहित आवेदक ने प्रस्तुत किया है। तदनुसार सीमांकन के अनुरूप स्थल की सीमा में विकास अनुमति से पूर्व कोई भिन्नता उत्पन्न होती है, तो इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सक्षम प्राधिकारी एवं आवेदक दोनों का दायित्व होगा तथा कालोनी विकास के प्रावधानों के अंतर्गत पुनः सीमांकित स्थल मानचित्र पर इस कार्यालय से अभिमत प्राप्त करना होगा।
23. आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र में प्रस्तावित स्थल की सीमा तक दर्शाए गए मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। अतः मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्री वाल से अवरुद्ध किया जाना मान्य नहीं होगा।
24. इस आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र को किसी भी प्रकार के विकास/निर्माण अनुमति नहीं मानी जावेगी। यह अभिमत केवल मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के नियम 10(2) के प्रावधान के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु है।
25. प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र के विकास संबंधी अधिनियमों, नियमों तथा उविधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
26. कालोनी का रख-रखाव हेतु सरपंच ग्राम पंचायत उजरोड, तहसील पाटन, जिला जबलपुर को हस्तांतरित करने के लिए निर्धारित मापदण्डों का पालन करना होगा। तथा विधिवत सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होगा।

इस आवासीय
अनुमति अर्हता
किया जाना मान्य
मानचित्र की संस्था
स्थल पर उपलब्ध
लोक के

28.

29.

कालोनों के विकास में
असम प्राधिकारी से
की निकासी
नहीं माना जाये। यह
किया जाना

इस आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे एवं यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा उक्त स्थल मानचित्र को भू-स्वामित्व के रूप में किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना मान्य नहीं माना जावेगा।

28. मानचित्र की सत्यापित मानचित्र मय अनापत्ति पत्र आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना होगा। तथा स्थल पर उपांतरित अभिमत मानचित्र में दर्शाये समस्त व्यौरों से संबंधी जानकारी एक 1.5x1.25 मीटर साईज के लोहे के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
29. परिसर के अन्दर निर्मित होने वाले समस्त भवनो की संरचना डिजाइन भूकम्प अवरोधी सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार की जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रावधान का पालन भवन अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
30. यह आवासीय भूखण्डीय विकास अभिन्यास मानचित्र म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्दिष्ट प्रावधानों एवं नियोजन की दृष्टि से दी गई है। भू-स्वामित्व व भूमि सीमा की वैधानिकता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने पर अथवा वैधानिक पहुँच मार्ग अथवा दी गई, जानकारी असत्य पाई जाने पर या आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी कथन जो शपथ पत्र अनुसार असत्य पाये जाने या भू-सीमा विवाद उत्पन्न होने की दशा में तथा पत्र में उल्लेखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होना सिद्ध पाये जाने पर यह स्थल अनुमोदन म0प्र0 भूमि विकास नियम-2012 के नियम-25 के तहत प्रतिसंहरित कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी होगी।
संलग्न:-मानचित्र की प्रति।

(आर0के0सिंह)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर

पृ0 क्रमांक 412/नयानि/एल/107/29.12.2021

जबलपुर, दिनांक 13/10/2022

प्रतिलिपि:-

- 1 कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी जिला-जबलपुर की ओर मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम, 2014 के अंतर्गत कृपया सूचनार्थ।
- 2 क्षेत्रीय कार्यालय म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम नं.-5 विजय नगर जिला-जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 उप पंजीयक, जिला जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 सरपंच ग्राम पंचायत उजराड, तहसील पाटन, जिला जबलपुर को ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ एवं की गई कार्यवाही से अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 तहसीलदार पाटन, जिला जबलपुर की ओर पटवारी खसरा के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का उपरोक्तानुसार अभिमत दिया गया है" की टीप अंकित करने हेतु प्रेषित।
- 6/ आवेदक मेसर्स पी0एम0 एसोसियेटेड्स द्वारा पार्टनर श्री मुकेश कुमार साहू पिता श्री भगवान दास साहू एवं श्री पंकज पान्डेय पिता श्री रामसखा पान्डेय निवासी शॉप नंबर 56 हाट बाजार विजय नगर महाराजा अग्रसेन वार्ड तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0 की ओर सूचित करते हुये लेख है कि उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त की गई समस्त अनापत्ति या स्वीकृति इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचनार्थ/पालनार्थ हेतु अग्रेषित।

(आर0के0सिंह)

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

जबलपुर